the State Government or the officer authorized as aforesaid shall be final and binding on the Board and on its officers and committees.".

3. Amendment of section 60, Rajasthan Act No. 4 of 1970.- For the existing section 60 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**60. Control by State Government.-** (1) The Board shall exercise its powers and perform its duties under this Act in accordance with the policy framed and the guidelines laid down, from time to time, by the State Government for carrying out the purposes of this Act.

(2) The Board shall perform any other functions that the State Government may designate in furtherance of the objectives of this Act. The Board shall comply with such directions, which may be issued from time to time, by the State Government for efficient administration of this Act.

(3) If, in connection with the exercise of the powers and the performance of the duties of the Board under this Act, any dispute arises between the Board and any other department of the State Government, the matter shall be decided by the State Government and its decision shall be final.".

विनोद कुमार भारवानी,
Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 14, 2020

संख्या प.2(14)विधि/2/2020.- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड (अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2020 (एक्ट नं. 12 ऑफ 2020)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 12)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 अप्रेल, 2020 को प्राप्त हुई)

राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम, 1970 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1970 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 में नयी धारा 51-क, 51-ख और 51-ग का अन्तःस्थापन.- राजस्थान आवासन बोर्ड अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम सं. 4), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 51 के पश्चात् और विद्यमान धारा 52 से पूर्व निम्नलिखित नयी धाराएं अंतःस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"**51-क. बोर्ड को देय राशि की भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली.-** जहां किसी परिसर या संपत्ति के संबंध में बोर्ड को संदेय कोई राशि, चाहे किसी अभिव्यक्त या विवक्षित करार के अधीन या अन्यथा, जैसा भी हो, बोर्ड के कार्यालय में या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को नियत तारीख को या उससे पूर्व संदत्त नहीं की जाती है तो ऐसी राशि व्यतिक्रम करने वाले व्यक्ति से बोर्ड या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) और तदधीन बनाये गये नियमों में यथा उपबंधित रीति से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जायेगी।

51-ख. बोर्ड के परिसर या संपत्ति पर अधिक्रमण या बाधा.- (1) जो कोई भी बोर्ड के या उसमें निहित किसी परिसर या संपत्ति पर, कोई अधिक्रमण करता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे सादा कारावास से, जो तीन मास से कम नहीं होगा किन्तु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से, जो तीस हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगाः

परन्तु न्यायालय निर्णय में उल्लिखित किये जाने वाले किन्हीं भी पर्याप्त या विशेष कारणों से, तीन मास से कम की अवधि के कारावास का दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा ।

(2) जो कोई भी बोर्ड की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी मार्ग में अस्थायी बाधा भी उत्पन्न करता है तो वह, दोषसिद्धि पर, ऐसे सादा कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

(3) बोर्ड या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अधिकारी को ऐसी किसी बाधा या अधिक्रमण को हटाने की शक्ति होगी और ऐसे हटाये जाने का व्यय उस व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जायेगा जिसने उक्त बाधा या अधिक्रमण कारित किया है।

(4) पूर्वगामी उपबंधों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात्, बोर्ड या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को, इस धारा में यथा उपबंधित की गयी कार्रवाई के अतिरिक्त, इस धारा में निर्दिष्ट परिसर या संपत्ति पर पाये गये यानों या, यथास्थिति, ऐसे परिसर या संपत्ति से संलग्न, या ऐसे परिसर या संपत्ति से संलग्न किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई किसी संपत्ति का अभिग्रहण करने या उसे कुर्क करने की शक्ति भी होगी।

(5) जहां कोई संपत्ति बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अभिगृहीत या कुर्क की जाती है, वहां वह ऐसे अभिग्रहण या कुर्की की रिपोर्ट तत्काल बोर्ड को करेगा।

(6) जहां उप-धारा (4) के अधीन कोई संपत्ति अभिगृहीत या कुर्क की जाती है, वहां बोर्ड ऐसी सम्पत्ति के अधिहरण का आदेश दे सकेगा।

(7) उप-धारा (6) के अधीन किसी संपत्ति के अधिहरण का आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि ऐसी संपत्ति के स्वामी को या उस व्यक्ति को, जिससे कि वह अभिगृहीत या कुर्क की गयी है-

(क) उन आधारों की उसे सूचना देने वाला एक लिखित नोटिस, जिन पर संपत्ति का अधिहरण करना प्रस्तावित है;

(ख) अधिहरण के आधारों के विरुद्ध अधिकतम सात दिवस की कालावधि के भीतर एक लिखित अभ्यावेदन करने का अवसर; और

(ग) मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर,

न दे दिया जाये।

(8) इस धारा के अधीन किसी अधिहरण का और किसी अधिक्रमण को हटाने का आदेश ऐसे किसी भी दण्ड को दिये जाने से नहीं रोकेगा जिसका प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दायी है।

(9) बोर्ड द्वारा इस धारा के अधीन किये गये किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की उसे संसूचना की तारीख से एक मास के भीतर, उसके विरुद्ध राज्य सरकार को अपील कर सकेगा।

(10) ऐसी अपील पर राज्य सरकार, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, अपील के निपटारे के लंबित रहते आदेश के रोके जाने का निदेश दे सकेगा या आदेश को उपान्तरित, परिवर्तित या बातिल कर सकेगा तथा ऐसा कोई और आदेश दे सकेगा जो उचित हो।

(11) जब कभी कोई संपत्ति इस धारा के अधीन अधिहरण के लंबित रहते अभिगृहीत या कुर्क की जाये तब, ऐसी संपत्ति के कब्जे, परिदान, व्ययन, निर्मुक्ति या वितरण के संबंध में आदेश करने की अधिकारिता बोर्ड या राज्य सरकार को होगी और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी, किसी अन्य न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी को नहीं होगी।

(12) जहां कोई व्यक्ति उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन के किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जाता है, वहां यह साबित करने का भार, कि वह अपराध उसने नहीं किया है, उसी पर होगा।

(13) अधिक्रमण या बाधा को हटाने या बन्द करने या रोकने के कर्तव्य से विनिर्दिष्ट रूप से न्यस्त जो कोई भी बोर्ड का कर्मचारी होते हुए या सरकार के किसी विभाग से बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए स्वयं अधिक्रमण करता है या अधिक्रमण में दूसरों की सहायता करता है, या ऐसे अधिक्रमण या बाधा को हटाने या बन्द करने या रोकने में जानबूझकर या जानते हुए उपेक्षा करता है या जानबूझकर लोप करता है, दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास से कम नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो तीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा:

परन्तु कोई भी न्यायालय, बोर्ड की पूर्व मंजूरी के सिवाय, ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध इस उप-धारा के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(14) इस धारा के अधीन के किसी अपराध का कोई अन्वेषण पुलिस निरीक्षक की रैंक से नीचे के किसी अधिकारी द्वारा नहीं किया जायेगा। तथापि, ऐसा अन्वेषण, आवास आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत पदधारी द्वारा बोर्ड की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट फाइल करने की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर पूरा किया जायगा और रिपोर्ट न्यायालय में फाइल की जायेगी।

(15) आवास आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत पदधारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसके द्वारा बोर्ड के परिसर या संपत्ति पर अधिक्रमण किया जाना संभावित हो, ऐसा कोई अधिक्रमण करने से उसे रोकने के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही दाखिल करे और आवास आयुक्त का आशंका की युक्तियुक्तता के बारे में समाधान कर लेने पर मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से उसके अच्छे व्यवहार के लिए एक वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के लिए, जो मजिस्ट्रेट ठीक समझे, प्रतिभूति सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित किये जाने की अपेक्षा करने में सक्षम होगा। दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के अध्याय 8 में अंतर्विष्ट प्रक्रिया इस उप-धारा के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाहियों पर, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, ऐसे लागू होगी मानो ऐसी कार्यवाहियां दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 107 के अधीन कार्यवाहियां हों।

51-ग. अभिलेख मंगवाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, बोर्ड या उसकी किसी समिति या अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन पारित या पारित किये गये तात्पर्यित किसी आदेश या संकल्प की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में समाधान करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत अभिलेख मंगा सकेगा और ऐसा करते समय निदेश दे सकेगा कि ऐसे अभिलेख की परीक्षा होने तक ऐसे आदेश या संकल्प को आस्थगित रखा जायेगा और राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी परीक्षा करने और उप-धारा (2) के अधीन आदेश पारित होने तक उसके बारे में आगे कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी:

परन्तु किसी आदेश या किसी संकल्प से संबंधित कोई अभिलेख इस उप-धारा के अधीन ऐसे आदेश या संकल्प की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं मंगाया जायेगा।

(2) अभिलेख की परीक्षा करने के पश्चात् राज्य सरकार या यथापूर्वोक्त प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे आदेश या संकल्प को विखंडित कर सकेगा, उलट सकेगा या उपान्तरित कर सकेगा और राज्य सरकार या यथापूर्वोक्त प्राधिकृत अधिकारी का आदेश अंतिम होगा तथा बोर्ड और इसके अधिकारियों और समितियों पर बाध्यकारी होगा।"।

3. 1970 के राजस्थान अधिनियम सं. 4 की धारा 60 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 60 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**60. राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण.-** (1) बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनायी गयी नीति और अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार करेगा।

(2) बोर्ड ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों को अग्रसर करने में अभिहित किये जायें। बोर्ड ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जायें।

(3) यदि इस अधिनियम के अधीन बोर्ड की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के संबंध में बोर्ड और राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो मामले का विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।"।

विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।